जिला पटवारी संघ तहसील शाखा बरघाट

अध्यक्ष श्रीमति ममता बम्हे 700635089

कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमित ठाकुर 6260541314

सचिव श्री हिमांशु तिवारी 9685646821

संरक्षक श्री पारस ठाकुर 9329309584

मार्गदर्शक श्री महतावसिंह रहंगडाले 8770551583

क्रमांक 38 बरघाट, दिनांक 25 / 03 / 2025

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय
तहसील - बरघाट जिला सिवनी (म.प्र.)

विषय :- पटवारी श्री अंकित बेत्थरिया को अनावश्यक रूप से विधिविरुद्ध अकारण निलंबित किए जाने के कारण उक्त निलंबन आदेश को तत्काल निरस्त किए जाने, निलंबन आदेश निरस्त नहीं किए जाने पर चरणबद्ध आंदोलन के संबंध में।

संदर्भ :- आपका आदेश पत्र क्रमांक/451/कानूनगो/2025 बरघाट दिनांक 20 मार्च 2025 ।

--------000-------

विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के संबंध में प्रांतीय पटवारी संघ जिला शाखा सिवनी महोदय जी आपसे मांग करना है कि तहसील बरघाट अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 78 में पदस्थ पटवारी श्री अंकित बेत्थरिया का निलंबन सरासर ग़लत,अकारण एवं विधिविरुद्ध है।अतः उक्त निलंबन विधिविरुद्ध होने के कारण तत्काल निलंबन आदेश निरस्त किया जाएं।

संदर्भित आदेश में उल्लेख किया गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-2024 में धान उपार्जन खरीदी केन्द्रों पर स्कंध की सुरक्षा,बारदाना की व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था की मानीटरिंग/पर्यवेक्षण तहसील बरघाट अंतर्गत खरीदी केंद्र ताखलाकलां में श्री अंकित बेत्थरिया पटवारी हल्का नंबर 78 को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया था।

श्री अंकित बेत्थरिया को आवंटित खरीदी केंद्र ताखलाकलां में दिनांक 10/01/2024 से अनुपस्थित रहने एवं दिनांक 22/01/2025 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना/लिखित सूचना/अनुमति के बिना ही उपस्थित होने व अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा कार्यालय तहसीलदार बरघाट द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं होने का हवाला देते हुए निलंबित किया गया है।

महोदय जी पटवारी श्री अंकित बेत्थरिया का दिनांक 10/01/2024 को एक्सीडेंट होने से दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण श्री अंकित बेत्थरिया द्वारा प्रस्तुत चिकित्सक प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 10/01/2024 से दिनांक 29/01/2024 तक कुल 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरघाट जिला सिवनी द्वारा स्वीकृत किए जाने से पटवारी श्री अंकित बेत्थरिया अवकाश पर थे। उक्त चिकित्सा अवकाश की जानकारी प्रतिलिपि पत्र के माध्यम से कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरघाट जिला सिवनी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) महोदय जिला सिवनी को नहीं दी गई थी।साथ ही पटवारी श्री अंकित बेत्थरिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से जवाब तलब किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर पटवारी श्री अंकित बेत्थरिया द्वारा तहसीलदार महोदय बरघाट को मोबाइल फोन पर सूचना देकर पेशी में उपस्थित होने हेतु अनुमति प्राप्त की गई। तहसीलदार महोदय बरघाट द्वारा पटवारी श्री अंकित बेत्थरिया को मौखिक अनुमति दिए जाने के उपरांत ही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है।

तहसीलदार महोदय बरघाट जिला सिवनी के कारण बताओं नोटिस पत्र क्रमांक/444/का./2025 बरघाट दिनांक 18/03/2025 के संबंध में जानकारी मोबाइल फोन के माध्यम से कानूनगो तहसील कार्यालय बरघाट द्वारा पटवारी श्री अंकित बेत्थरिया को दिनांक 19/03/2025 को समय दोपहर 2.11 PM बजे दी गई। उक्त कारण बताओ नोटिस पटवारी श्री अंकित बेत्थरिया को तामील नहीं करवाया गया है। साथ ही उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किए जाने हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय बरघाट द्वारा दिनांक 19/03/2025 को समय 7.23 PM पर पटवारी श्री अंकित बेत्थरिया को मोबाइल फोन पर वाट्सएप के माध्यम से ही दें दिए जाने हेतु कहा गया। उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत तामील करवाएं बिना एवं आवश्यक समय प्रदाय किए बिना जवाब चाहना स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उचित प्रतीत नहीं होता है। तहसीलदार महोदय बरघाट द्वारा आनन फानन में कारण बताओ नोटिस का जवाब चाहा जाना पूर्वाग्रह से ग्रसित होना प्रतीत होता है। जिससे संपूर्ण पटवारी संवर्ग में भारी आक्रोश व्याप्त है।

जिला पटवारी संघ तहसील शाखा बरघाट

अध्यक्ष
श्रीमति ममता बम्हे
700635089

कार्यकारी अध्यक्ष
श्री अमित ठाकुर
6260541314

सचिव
श्री हिमाशु तिवारी
9685646821

संरक्षक
श्री पारस ठाकुर
9329309584

मार्गदर्शक
श्री महतावसिंह रांहगडाले
8770551583

महोदय जी पटवारी श्री अंकित बेत्थरिया के चिकित्सा अवकाश पर होने, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पेशी में उपस्थित होने हेतु तहसीलदार महोदय बरघाट जिला सिवनी को सूचना देकर अनुमति प्राप्त करने एवं श्रीमान तहसीलदार महोदय बरघाट द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को विधिवत तामील नहीं करवाकर जवाब हेतु पर्याप्त समय नहीं दिया जाकर आनन फानन में कारण बताओ नोटिस का जवाब लिए जाने के कारण आपके द्वारा किया गया निलंबन अकारण, विधिविरुद्ध एवं ग़लत है। अतः उक्त निलंबन आदेश तत्काल निरस्त कर पटवारी श्री अंकित बेत्थरिया को बहाल किए जाने की मांग प्रांतीय पटवारी संघ जिला शाखा सिवनी करता है।

उक्त निलंबन आदेश विधिविरुद्ध होने के कारण जिला सिवनी में पदस्थ समस्त पटवारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। निलंबन आदेश निरस्त नहीं किए जाने की स्थिति में प्रांतीय पटवारी संघ जिला शाखा सिवनी अग्रिम कार्यवाही एवं चरणबद्ध आंदोलन हेतु बाध्य होगा। दिनंक 21/03/2025 को प्रांतीय पटवारी संघ तहसील शाखा बरघाट द्वारा सौपे गये ज्ञापन पर कार्यवाही नही होने के कारण तहसील बरघाट के समस्त पटवारी आकोशित है एवं दिनांक 25/03/2025 से तहसील के समस्त शासकीय वाटसएप गुप्र से लेफट हो रहे है उक्त निलंबन आदेश निरस्त नही होने पर बरघाट तहसील के समस्त पटवारी दिनांक 26/03/2025 से 27/3/2025 तक सामूहिक अवकाश पर रहेगे एव 28/03/2025 से अपना बस्ता तहसील कार्यालय बरघाट मे रखकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेगें

द्वितीय चरण में दिनांक 02/04/2025 से साथी पटवारी श्री अंकित बेत्थरिया जी का निलंबन आदेश निरस्त नहीं किए जाने पर जिला सिवनी के समस्त पटवारी अपना बस्ता रखकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उक्त अनिश्चितकालीन हड़ताल की संपूर्ण जिम्मेदारी तहसील प्रशासन बरघाट की होगी।

अतः प्रांतीय पटवारी संघ जिला शाखा सिवनी उक्त निलंबन आदेश तत्काल निरस्त किए जाने की मांग करता है।

जिलाध्यक्ष
जिला पटवारी संघ जिला शाखा सिवनी
जिला सिवनी (म.प्र.)

कमांक 85

बरघाट, दिनांक 25 / 03 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ संप्रेषित।
2. श्रीमान प्रांताध्यक्ष महोदय पटवारी संघ भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ संप्रेषित।

जिलाध्यक्ष
जिला पटवारी संघ जिला शाखा सिवनी
जिला सिवनी (म.प्र.)